

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/आर-186/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026
डा० अभिषेक कुमार, सीनियर रेजिडेंट, हड्डी रोग विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा
महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर का दिनांक-09.09.2021 से 05.10.2023 तक
अध्ययन अवधि तथा दिनांक-06.10.2023 से 05.02.2024 तक प्रभार रहित अवधि को
निम्नवत् विनियमित किया जाता है:-

i.	दिनांक-09.09.2021 से 05.10.2023 तक	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
ii.	दिनांक-06.10.2023 से 08.10.2023 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180 के आलोक में)
iii.	दिनांक-09.10.2023	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
iv.	दिनांक-10.10.2023 से 15.10.2023 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180 के आलोक में)
v.	दिनांक-16.10.2023 से 01.02.2024 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
vi.	दिनांक-02.02.2024 से 05.02.2024 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180 के आलोक में)

2. अध्ययन अवधि कुल-02 वर्ष 27 दिन एवं प्रभार रहित अवधि कुल-123 (एक सौ तेईस दिनों का है)।

3. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/आर-186/2025- 829(2) पटना, दिनांक 20/4/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर/
/जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/डा० अभिषेक कुमार, सीनियर रेजिडेंट, हड्डी रोग विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Wdhaman 17/4/26
सरकार के उप सचिव।